

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आवंटन क्रमांक—

.....

पत्रांक-06/EV (आवंटन)-14-04/2025

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार
(किशनगंज को छोड़कर)।

पटना, दिनांक—

विषय :- राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग, बिहार द्वारा संचालित
“बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023” के लिए स्वीकृत कुल-1,50,00,000/-
(एक करोड़ पचास लाख रुपया मात्र) की राशि आवंटन के संबंध में।

महाशय,

राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग, बिहार द्वारा संचालित
“बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023” के लिए संलग्न जिलावार विवरणी के अनुसार सभी
जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार (किशनगंज को छोड़कर) को आवंटित की जाती है।

2. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना में मांग संख्या-47 मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता- उपशीर्ष-0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन विपत्र कोड-47-3055001990103 विस्तृत शीर्ष वस्तुगत शीर्ष विस्तृत शीर्ष-33- सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01- सब्सिडी से विकलनीय होगी।
3. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-एम-4-05/98-2561 वि (2), दिनांक-17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जाता है।
4. लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०-9172 दिनांक-05.12.2023 के आलोक में कागजातों/अभिलेखों की पूरी छानबीन एवं आवश्यक जाँच के बाद ही किया जायेगा, अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि होने पर सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी की होगी।
5. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर अंकित होगा एवं विपत्र कोड तथा मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जायेगी, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जायेगा, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

1

7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राशि का व्यय नियमानुसार हो। कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी जितनी तुरंत भुगतान हेतु आवश्यक हो। राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक खातों/पी0 एल0 खातों में नहीं रखी जायेगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

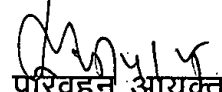
ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 62

पटना, दिनांक :- 28/4/2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आवंटन क्रमांक—

पत्रांक-06/EV (आवंटन)-14-04/2025 62

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार
(किशनगंज को छोड़कर)।

पटना, दिनांक- 28/4/2025

विषय :- राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग, बिहार द्वारा संचालित "बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023" के लिए स्वीकृत कुल-1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख रुपया मात्र) की राशि आवंटन के संबंध में।

महाशय,

राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग, बिहार द्वारा संचालित "बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023" के लिए संलग्न जिलावार विवरणी के अनुसार सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार (किशनगंज को छोड़कर) को आवंटित की जाती है।

2. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना में मांग संख्या-47 मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता- उपशीर्ष-0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन विपत्र कोड-47-3055001990103 विस्तृत शीर्ष वस्तुगत शीर्ष विस्तृत शीर्ष-33- सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01- सब्सिडी से विकलनीय होगी।
3. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-एम-4-05/98-2561 वि (2), दिनांक-17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जाता है।
4. लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०-9172 दिनांक-05.12.2023 के आलोक में कागजातों/अभिलेखों की पूरी छानबीन एवं आवश्यक जाँच के बाद ही किया जायेगा, अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि होने पर सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी की होगी।
5. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर अंकित होगा एवं विपत्र कोड तथा मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जायेगी, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जायेगा, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राशि का व्यय नियमानुसार हो। कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी जितनी तुरंत भुगतान हेतु आवश्यक हो। राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक खातों/पी0 एल0 खातों में नहीं रखी जायेगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

राज्य पश्चिमी आयुक्त,
बिहार, पटना।

क्र०	जिला का नाम	आवंटित राशि विपत्र कोड
		मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन विपत्र कोड-47-3055001990103 विस्तृत शीर्ष वस्तुगत शीर्ष विस्तृत शीर्ष-33-सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01- सब्सिडी
1	2	3
1	मुंगेर	3,00,000 / -
2	पूर्णियाँ	2,00,000 / -
3	मोतिहारी	3,00,000 / -
4	समस्तीपुर	2,00,000 / -
5	भागलपुर	3,00,000 / -
6	पटना	20,00,000 / -
7	रोहतास	5,00,000 / -
8	छपरा	4,00,000 / -
9	बेतिया	5,00,000 / -
10	कटिहार	1,50,000 / -
11	औरंगाबाद	2,00,000 / -
12	अरवल	50,000 / -
13	दरभंगा	2,00,000 / -
14	बेगूसराय	10,00,000 / -
15	भोजपुर	2,00,000 / -
16	जहानाबाद	2,00,000 / -
17	सिवान	10,00,000 / -
18	गोपालगंज	5,00,000 / -
19	बक्सर	2,00,000 / -
20	मधुबनी	10,00,000 / -
21	नवादा	1,00,000 / -
22	मुजफ्फरपुर	10,00,000 / -
23	मधेपुरा	1,00,000 / -
24	नालंदा	4,00,000 / -
25	सहरसा	1,00,000 / -
26	अररिया	50,000 / -
27	वैशाली	5,00,000 / -
28	सीतामढ़ी	10,00,000 / -
29	गया	15,00,000 / -
30	बांका	50,000 / -
31	भभुआ	2,00,000 / -
32	जमुई	50,000 / -
33	खगड़िया	50,000 / -
34	लखीसराय	50,000 / -
35	शेखपुरा	2,00,000 / -
36	शिवहर	50,000 / -
37	सुपौल	2,00,000 / -
	कुल	1,50,00,000 / -

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

